



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 576]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 30, 2019/आश्विन 8, 1941

No. 576]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 30, 2019/ASVINA 8, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2019

आय-कर

सा.का.नि. 701(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 92 गड की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (ग्यारहवाँ संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 10 गख में,—

(A) दोनों स्थानों पर आने वाले “अतिरिक्त धन” शब्दों के स्थान पर “अतिरिक्त धन या उसका भाग” शब्दों को रखा जाएगा;

(B) उप-नियम (1) में,—

(अ) खंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(iii) उस दशा में जहां पूर्व वर्ष के संबंध में अंतरण कीमत के लिए प्राथमिक समायोजन निर्धारिती द्वारा अधिनियम की धारा 92 गग के अधीन किए गए अग्रिम कीमत करार द्वारा अवधारित है, वहाँ—

(क) यदि सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए विवरणी फ़ाइल करने की नियत तारीख को या पहले अग्रिम कीमत करार किया गया है तो अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी फ़ाइल करने की तारीख से;

(ख) यदि सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए विवरणी फ़ाइल करने की नियत तारीख के पश्चात उक्त करार किया गया है तो जिस मास में अग्रिम कीमत करार किया गया है उसकी समाप्ति से”;

(आ) खंड (v) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्: —

“जहां अधिनियम की धारा 90 या धारा 90क के अधीन किए गए दोहरे कराधान का परिवर्जन करार के अधीन अंतरण कीमत के लिए प्राथमिक समायोजन ऐसे समाधान द्वारा अवधारित है, वहाँ पारस्परिक करार प्रक्रिया के अधीन निकाले गए समाधान को नियम 44ज के अधीन निर्धारण आधिकारी द्वारा प्रभावी बनाने की तारीख से”;

(III) उप-नियम (2) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

“(3) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट ब्याज अतिरिक्त धन या उसके भाग पर जो संप्रत्यावर्तित नहीं किया गया है—

(क) खंड (i), खंड (iii) के उप-खंड (क) और उप-नियम (1) के खंड (iv) में निर्दिष्ट मामलों में, अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी को फ़ाइल करने की नियत तारीख से;

(ख) उप-नियम (1) के खंड (ii) में निर्दिष्ट मामलों में, यथास्थिति, निर्धारण आधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी के आदेश की तारीख से;

(ग) उप-नियम (1) के खंड (iii) के उप-खंड (ख) में निर्दिष्ट मामलों में, अधिनियम की धारा 92गग के अधीन निर्धारिती द्वारा जिस मास में अग्रिम कीमत करार किया गया है उसकी समाप्ति से;

(घ) उप-नियम (1) के खंड (v) में निर्दिष्ट मामलों में, पारस्परिक करार प्रक्रिया के अधीन निकाले गए समाधान को नियम 44ज के अधीन निर्धारण आधिकारी द्वारा प्रभावी बनाने की तारीख से

प्रभार्य किया जाएगा।”;

(IV) स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् : —

“स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, —

(क) “अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार” का वही अर्थ होगा जो इसे अधिनियम की धारा 92ख में दिया गया है;

(ख) अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार का विदेशी मुद्रा में अंकित मूल्य की रूपए में मूल्य की संगणना के लिए विनिमय की दर उस पूर्व वर्ष के अंतिम दिन का ऐसी मुद्रा का तार अंतरण क्रय दर होगा जिसमें ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार किया गया है और “तार अंतरण क्रय दर” का वही अर्थ होगा जैसा नियम 26 के स्पष्टीकरण में दिया गया है”।

[अधिसूचना सं. 76/2019/फा.सं. 370142/12/2017-टीपीएल]

नीरज कुमार, उप सचिव (कर नीति और विधायन प्रभाग)

टिप्पण: मूल नियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इनमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि 694(अ) तारीख 27 सितम्बर, 2019 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th September, 2019

Income-tax

G.S.R. 701(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 92CE read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely: —

1. Short title and commencement. —

- (1) These rules may be called the Income-tax (11th Amendment) Rules, 2019.
 (2) They shall come into force with effect from the date of the publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962, in rule 10CB.—

(I) for the words “excess money” occurring at both the places, the words “excess money or part thereof” shall be substituted;

(II) in sub-rule (1), —

(A) for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely: —

“(iii) in a case where primary adjustment to transfer price is determined by an advance pricing agreement entered into by the assessee under section 92CC of the Act in respect of a previous year, -

- (a) from the date of filing of return under sub-section (1) of section 139 of the Act if the advance pricing agreement has been entered into on or before the due date of filing of return for the relevant previous year;
 (b) from the end of the month in which the advance pricing agreement has been entered into if the said agreement has been entered into after the due date of filing of return for the relevant previous year”;

(B) for clause (v), the following clause shall be substituted, namely: —

“from the date of giving effect by the Assessing Officer under rule 44H to the resolution arrived at under mutual agreement procedure, where the primary adjustment to transfer price is determined by such resolution under a Double Taxation Avoidance Agreement entered into under section 90 or section 90A of the Act”;

(III) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(3) The interest referred to in sub-rule (2) shall be chargeable on excess money or part thereof which is not repatriated—

- (a) in cases referred to in clause (i), in sub-clause (a) of clause (iii) and clause (iv) of sub-rule (1), from the due date of filing of return under sub-section (1) of section 139 of the Act;
 (b) in cases referred to in clause (ii) of sub-rule (1), from the date of the order of Assessing Officer or the appellate authority, as the case may be;
 (c) in cases referred to in sub-clause (b) of clause (iii) of sub-rule (1), from the end of the month in which the advance pricing agreement has been entered into by the assessee under section 92CC of the Act;
 (d) in cases referred to in clause (v) of sub-rule (1), from the date of giving effect by the Assessing Officer under rule 44H to the resolution arrived at under mutual agreement procedure.”;

(IV) for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely: —

“Explanation- For the purposes of this rule, —

- (A) “International transaction” shall have the same meaning as assigned to it in section 92B of the Act;
- (B) The rate of exchange for the calculation of the value in rupees of the international transaction denominated in foreign currency shall be the telegraphic transfer buying rate of such currency on the last day of the previous year in which such international transaction was undertaken and the “telegraphic transfer buying rate” shall have the same meaning as assigned in the Explanation to rule 26.”

[Notification No.76 /2019/ F.No.370142/12/2017-TPL]

NIRAJ KUMAR, Dy. Secy. (Tax Policy and Legislation Division)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and was last amended, *vide* notification number G.S.R 694(E) dated 27.09.2019.